



## लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे-2 आषियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ-12

फोन नं० : 0522-2435514 फैक्स : 0522- 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमती नीलिमा सक्सेना,  
अधिकृत हस्ताक्षरी, मे० पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि०,  
तृतीय तल एल्डिको कारपोरेट टावर,  
विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ-10

महोदय,

आपके आवेदन पत्र संख्या 425 दिनांक 01.12.2016 जो सम्पत्ति ग्राम-मीरानपुर पिनवट, परगाना, बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में परमिट सं० 281 दि० 13.08.15 द्वारा स्वीकृत भूवित्यास मानायित के आवासीय क्षेत्रफल 228093.00 वर्गमीटर के आशिक भू-भाग पर आवासीय शुप हाउसिंग (हमिंग रिट्रीट) के परिनिर्माण /पुनः परिनिर्माण /मूलभूत परिवर्तन /ध्वरस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं० 1 से 50) के अनुसार आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर



अधिकारी का नाम -श्री ओ०पी० सिंह  
अधिकारी का पदनाम - प्र० वरि० प्रबन्धक परियोजना

कार्यालय संप्रेषण संख्या ..... 1018 .....

दिनांक 25/07/2018

लखनऊ।

संख्या ..... / ल0ओवी0प्रा0 दि0.....

### निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति ३० प्र० औद्योगिक विकास आधिकार्यम १९७६ एवं इसके साथ प्राप्त माडल बिल्डिंग वाईलाज १९७७ के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री / श्रीमती / श्रीमती नीलिमा सक्तेना, अधिकृत हस्ताक्षरी, मे० पार्थ इन्काबिल्ड प्रा० लि०, तृतीय तल एलिफ्टको कारपोरेट टावर, विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ-१० का ग्राम मीरानपुर पिन्वट, पश्चना, बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में के भूखण्ड संख्या / गाठा भूखण्ड संख्या १३५, १३६, १४५, १८६, १८७, १८८, १९०, २०३, २१०, २३९, १९५, १२१, १२२, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, २३३, १३३, १९२, १९७, २००, १६७, २१८, २१९, २२४, २२६, २२५, २२१, २६२, २२८, २२०, १९३, १३०, १३२, १३४, १४०, १४१, १४२, १९१, १९९, २०१, २१३, २११, १९६, १८३, २२९, २१४, १३९, १६६, २०५, २०६, २१५, २०९, २४०, १९८, २१२, २२२, २२७, २५४, १५४, २६१, २६३, २६४, १७६, १७६, १७४पी, १७५, १७५, १७७, १७९ एवं २५४ पर आवासीय शुप हाउसिंग जो प्रार्थना पत्र के साथ गाठा सं० २२४पी० एवं २२५पी पर प्रस्तुत किये गये हैं। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या ३०९ / लीडा / सी.ई.ओ. / २०१६-१७ के नोट पृष्ठ सं० १ से ०९ पर दिनांक १२.०७.१८ को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

  
सं० ०९ प्रबंधक (परि०)

सहायक नार नियोजक

  
प्र० वरि० प्रबंधक (परियोजना)

दिनांक—

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पौच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि निर्माण आज्ञानुकूल नहीं बना तो लीडा द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई निर्माण बिना लीडा की अनुमति प्राप्ति किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उनके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञासम्य निर्माण को लीडा द्वारा हटाया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन निर्माण बनाने वाले से बसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति पत्र के सङ्क या गली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे पोर्टिको बारजा, लोडा स्टींडी, ज्ञाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर नये निर्माण की स्वीकृति चाहें उसके साथ नवये में दिखाई भी गयी हो, नहीं प्रदान की जावेगी। इन निर्माणों के लिये प्राधिकरण अधिनियम की धारा के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. निर्माण से यदि नाली की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग को निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण टकली गई हो) हानि पहुचे तो यह निर्माण स्वामी को गत तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा तो उसे पहले ही तोड़कर अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवश्य स्वीकरण को संतोष हो जावें में कर देना होगा।
4. निर्माण के समय इसका व्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिक सिटी रूल्स के निम्य 1970 का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिये। यदि लीडा की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार लीडा को निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना निर्माण समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा। यदि सूचना न दी गयी तो यह समझा जायेगा कि निर्माण पूर्ण हो गया।
6. यह अनुमति किसी कारण वन, नज़ूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हटु दे दी गयी तो वैध नहीं मानी जायेगी, और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्माण आदि हटावें जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा तथा निर्माण हटाने में हुये व्यय को निर्माणकर्ता से बसूल किया जायेगा, इसलिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण को प्रारम्भ करे।
7. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक / संस्था के विवरण की सूचना लीडा को देनी होगी।
8. आवेदक को रसीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजीन व आर्को की देखरेख में निर्माणकार्य कराया जायेगा तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से लीडा को अवगत

करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये लीडा जिम्मेदार नहीं होगा।

9. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है उस अवधि में कार्यपूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फैस लीडा की भवन नियमावली 2009 के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल पर रु 2.50 प्रतिवर्ग मी0 देय होगा।
10. प्राधिकरण के सहा0 प्रबंधक परि0 द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।
11. प्राधिकरण की भवन नियमावली एवं अन्य शर्तें आवेदक को मान्य होगी।
12. किसी भी नियमों की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र स्वतः अस्वीकृत माना जायेगा।
13. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
14. बुक्शारोपण का अनुपालन किया जायेगा।
15. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय-2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।
16. प्राधिकरण द्वारा समय —समय पर मौगे जाने पर आवंटियों की सूची पता सहित उपलब्ध कराना होगा।
17. प्रस्तावित स्थल पर विकास प्रारम्भ करने पर आवेदक द्वारा उसकी सूचना विहित प्रपत्र पर प्राधिकरण को दी जायेगी।
18. सड़कों के किनारे यथा सम्बव कर्त्त्वे रखे जाएंगे अथवा बिक—ऑन—एज’ /लूज स्टोन ‘पेवमेन्ट’ का प्राविधान किया जाएगा, ताकि ग्राउन्ड वाटर की अधिक से अधिक रिचार्जिंग सम्भव हो सके।
19. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान में कोई विचलन है या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो प्रस्तावित विचलन निष्पादित करने के पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी।
20. विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में सूचना देगा और उसके साथ मानचित्र की प्रति /कम्प्यूटरिफूट ड्राइंग (.dwg या समकक्ष फार्मेट में) सी.डी. में जमा करेगा, जिसके आधार पर प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फैस प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार जमा करना होगा।
21. इस अनुज्ञा से संबंधित भू/गृह का किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु नियायोग्य अथवा /विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भूमि का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रमाण नहीं पड़ता है।

यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारावान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्तकी जा सकती है।

23. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नलियों के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड वालकनी, छुजा कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हों, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अमान्य होगी।
24. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्ण स्वीकृत अनिवार्य होगी।
25. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकरण लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये गये।
26. भू-स्वामित्व के संबंध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। भू-स्वामित्व के सम्बंध में यदि कोई गलत तथ्य पाये जाते हैं तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
27. मानचित्र में दर्शित अशमनीय निर्माण यदि निर्धारित तिथि तक पक्ष द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकरी/प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेक्टर दर का प्रतिशत हजारना कार्यवाही करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल करेगा।
28. आवश्यक समस्त शासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी एवं उसके अनुपालन की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
29. सीधर य अन्य आवश्यक डिस्पोजल की व्यवस्था आप द्वारा स्वयं की जायेगी।
30. कार्य पूर्ण होने के उपरांत आवेदक द्वारा प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। पूर्णता प्रमाण पत्र व अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत ही आवंटियों को आवेदक द्वारा कहजा व निर्बंधन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
31. आवेदक को एकीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजींग व आर्कों की देखरेख में निर्माणकार्य कराया जायेगा। तथा समय-समय पर कार्य की प्रगति से लीडा को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये लीडा जिम्मेदार नहीं होगा।
32. प्रस्तावित निर्माण/भवन में समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे नाली, सीवर, वाटर सालाई, विद्युतीकरण, सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्डिंग, इंसफानर इत्यादि आवेदक द्वारा रख्य के लिये पर निर्धारित विशिष्टताओं एवं परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुरूप कराये जायें। स्थलीय निरीक्षण के दौरान आंतरिक विकास कार्यों को निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप न पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

वाहय अवस्थापनागत सुविधाओं से आंतरिक सुविधाओं का संयोजन आवेदक द्वारा प्राधिकरण से अनुमति के उपरांत स्वयं के खर्च पर कराया जायेगा।

34. विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास / निर्माण कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास है। प्रश्नगत स्वीकृति लान के उसी भाग के लिए मात्र होगी जो विकासकर्ता के स्वामित्व में है।

35. विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप / कालोनियों में एस0टी0पी0 / म्युनिसपल सालिड वेर्स्ट का निर्सारण योजनाबद्ध रूप से कराये जाने विषयक पर्यावरण विभाग के शासनादेश सं0 3333/55-पर्य0 / 2008 दि 29.09.2008 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा प्रस्तावित योजना के संबंध में सक्षम स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। निवेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान 2031 की नीति के आधार पर सालिडवेर्स्ट की गणना की जायेगी। सालिडवेर्स्ट के अंतिम निर्स्तारण हेतु विकासकर्ता को स्वयं नगर निगम की सहमति / अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

36. विकास के सभी कार्य निर्धारित विषिष्टताओं एवं मानकों के आधार पर विकासकर्ता द्वारा सम्पादित कराये जायें। विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्य का विस्तृत छाइग, डिजाइन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिष्ठित करने हेतु विकासकर्ता द्वारा विकल्प योग्य फ्लौट का 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) क्षेत्र लीडा के समक्ष / पास बंधक के रूप में रखा जायेगा जिसे मानचित्र में अंकित करा दिया गया है अथवा विकासकर्ता द्वारा इतनी ही धनराशि की बैंक गारन्टी प्रेषित की जायेगी। विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य न कराये जाने अथवा निर्धारित विषिष्टताओं एवं मानकों के अनुरूप न करवाए जाने की स्थिति में बंधक फ्लौटस को विक्रय कर अथवा बैंक गारन्टी को कैंश कर निर्माण कार्य लीडा द्वारा सम्पादित कराये जायें। निर्माण कार्य पूर्ण / समाप्तित होने पर समानुपातिक रूप से फ्लौटस अवमुक्त किये जायेंगे अथवा बैंक गारन्टी अवमुक्त की जायेगी।

37. विकासकर्ता द्वारा ऐनवाटर हार्डस्टंग हेतु प्रस्तावित स्ट्रक्चर्स की प्रज्ञानत क्षेत्र की हाईड्रोज्यालोजी के आधार पर उपयुक्तता के संबंध में सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश भूजल विभाग से रवाय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

38. विकासकर्ता को विद्युत आपूर्ति यूपी0पी0सी0एल0 से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है, जिसके लिए विकासकर्ता को स्वयं यूपी0पी0सी0एल0 से सहमति / अनुमति प्राप्त करनी होगी।

39. यदि भविष्य में मा0 न्यायालय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का निर्णय / निदेश, किन्ही प्रकार के शुल्क आधिरोपित करने के संबंध में जारी किये जाते हैं तो उसके अनुसार विकासकर्ता को शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। विकासकर्ता को अपने बैंक का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा, जिससे उसके द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त की जा रही है।

40. योजना के मरम्मत एवं रख—रखाव के कार्य के संबंध में को लीडा द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करना होगा।


41. स्वीकृत निर्माण के सापेक्ष ई0डब्ल्यूएस0, एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कराना होगा।

10/05/2024

Signature

विकासकर्ता द्वारा आंतरिक विकास कार्य का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन व प्रोजेक्ट सिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

43. किन्ही भी शर्तों का अनुपालन न करने पर मानचित्र की स्थिरता स्वतः निरस्त नानी जायेगी।  
किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।
44. ₹५०आई०५० एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी एवं उसी के उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
45. किसी भी शासकीय भूमि पर निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
46. किन्ही भी शर्तों के उल्लंघन करने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
47. आवेदक द्वारा स्थल पर प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को लिखित मैं सूचना देनी होगी।
48. आवेदक द्वारा स्थल पर खनन नीति की शर्तों का अनुपालन उ०प्र०शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा।
49. विकासकर्ता द्वारा श्रम विभाग के शासनादेश सं० ४१० / आठ-३-१०-१८ विविध -२०१६ दि० २८.०३.१० के अनुसार लेबर सेस जमा करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है भविष्य में लेबर सेस की देयता के संबंध में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। मौर्गे जाने पर रसीद की सत्यापित प्रति या लेबर सेस विभाग का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
50. विकासकर्ता द्वारा स्टेक्चरल डिजाइन प्राधिकरण में जमा करना होगा।
51. विकासकर्ता को एयरपोर्ट एथारिटी आफ इंडिया से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार ही टावर की उचाई अनुमत्य होगी।

 -

सहायक नगर नियोजक

पत्र सं० ..... / लीडा / ५०स००५००५००. / ३०९

दिनांक

प्रतिलिपि—

1. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संबंधित सहायप्रबन्धक परिं० को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तेंके अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, कराये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।



प्र० वारिं० प्रबन्धक (परियोजना)